न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 65/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/313

अनवान्

1. श्री खुमा गोदीपिता खेमा डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. धापुबाई पुत्री माना डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
2. नानीबाई पुत्री माना डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
3. प्रतापीबाई पुत्री माना डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
4. श्रीमती सीताबाई पत्नी भंवरलाल डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
5. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी मांगीलाल डांगी निवासी सिन्दू तहसील घासा।
6. श्रीमती हिराबाई पत्नी उदा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
7. पटवारी, पटवार हल्का घासा तहसील घासा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय घासा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.10.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 5870/4523 किता 7 कुल रकबा 0.6880 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 कुल रकबा 1.4652 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हैं। मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा तहसील घासा के परिशष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2385, 2386, 2394, 2398, 2399 किता 5 कुल रकबा 0.4451 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 2738, 2740, 2741, 2742 किता 4 कुल रकबा 0.5180 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हैं। मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा के परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 4472, 4473, 4501, 4502, 4503, 4504, 4508, 4509 किता 8 कुल रकबा 0.2106 हेक्टेयर भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

2. यह कि मुझ प्रार्थी के गोदीपिता खेमा के पिता जी का नाम माना पिता हीरा जी डांगी था जिनके नाम पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 के अनुसार माना जी की मृत्यु उपरान्त विरासत से खेमराज पिता माना जी डांगी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, जिसके नामान्तरकरण संख्या 1532 थे, उसके उपरान्त खेमा उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे थे। खेमा जी की पत्नी का देहान्त खेमा जी के जीवनकाल में ही हो गया था। खेमा जी के कोई जायन्दा संतान नहीं थी। खेमा जी के कोई जायन्दा संतान नहीं होने की वजह से खेमा जी एवं उनके पत्नी ने बचपन से मुझ प्रार्थी को अपने पास गोद रख लिया था, मुझ प्रार्थी का बाल्यकाल एवं पढाई लिखाई खेमा जी के घर पर ही हुई थी। मुझ प्रार्थी का विवाह भी खेमा जी ने ही अपने स्तर पर अपने खर्चे से करवाया था। खेमा जी के वृद्वावस्था में उनके सेवा चाकरी भी मुझ प्रार्थी के द्वारा ही की गई थी तथा मेरी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मेरे प्राकृतिक माता–पिता की सहमति से दिनांक 06.01.2009 को उप पंजीयन कार्यालय मावली में उपस्थित होकर एक रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करते हुए मुझ प्रार्थी को गोद पुत्र का दर्जा देते हुए गोदनामा निष्पादित करवाया तथा इससे पूर्व घर पर गोद से सम्बन्धित समस्त रिति रिवाज जैसे गुड–धनिया बांट कर, ढोल बजवा कर रिश्तेदारों, पडोसियों में मिठाई बांट कर तथा समस्त रिश्तेदारों के समक्ष अपनी गोद में बिठा कर समस्त गोद की समस्त रिति रिवाज की पूर्ति की थी। उक्त रिति रिवाज गोदनामें की दिनांक से पूर्व मुझ प्रार्थी की अल्प आयु में ही निष्पादित कर दिये थे। इस तरह वैध दस्तावेज एवं समस्त रिति रिवाजो के आधार पर मैं प्रार्थी खुमा जी का गोद पुत्र के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका था।

3. यह कि कालान्तर में दिनांक 29.06.2021 को खेमा की मृत्यु भी हो चुकी थी। उसके उपरान्त मैं प्रार्थी खेमा जी का सामाजिक क्रियाकर्म करने के उपरान्त अपने कृषि कार्य में व्यस्त हो गया था। खेमा जी की समस्त जमीन पर उनके विरासत से उनकी जमीन पर बिना किसी बाधा के खेती करता चला आ रहा हूं। विपक्षी संख्या 1 से 3 के द्वारा कभी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

भी कोई विरोध नहीं जताया गया। जिस पर मुझ प्रार्थी ने तहसीलदार साहब के यहां जाकर उक्त वर्णित जमीन की नकले प्राप्त की एवं विरासत की नकले प्राप्त की तो मुझ प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि गलत नामान्तरकरण के आधार पर मुझ प्रार्थी का नाम हटा कर विपक्षी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज कर दिया है गलत नामान्तरकरण की जानकारी होने पर मुझ प्रार्थी द्वारा गलत नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई जो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन हैं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर फर्जी तरीके से उक्त वर्णित आराजीयात दर्ज कर दी, परन्तु मैं प्रार्थी खेमा जी का गोदीपुत्र होने की वजह से अपना हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी हूं।

4. यह कि मैं प्रार्थी खेमा पिता माना जी का गोदीपुत्र हुं, खेमा जी के द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाया गया है जो अभी भी अस्तित्व में है, विपक्षी संख्या 1 से 6 खेमा जी की बहने है, किसी भी पिता की मृत्यु पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उसके चल–अचल सम्पति का वारिस उसके पुत्र–पुत्री ही होते है न की मृतक की बहने वारिस होती हैं। खेमा जी के कोई पुत्रीया नहीं हैं। खेमा जी का मैं प्रार्थी एक मात्र विधिक वारिस हूं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मैं प्रार्थी खेमा जी का प्रथम श्रेणी का वारिस हूं और प्रथम श्रेणी का वारिस होते हुए खेमा जी की सम्पति उसकी बहनों के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सजरा गलत रूप से प्रमाणित किया गया हैं। मुझ प्रार्थी को खेमा जी का विधिक वारिस होना नजरअंदाज करते हुए विपक्षीगणों के नाम पर गलत सजरे का सृजन कर जो नामान्तरकरण दर्ज किया गया है वो मेरे हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य व बेअसर हैं। ग्राम पंचायत घासा ने गलत सजरा प्रमाणित किया है। जिसके कारण उक्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य हैं।

5. यह कि नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान मुझ प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया और न ही कब्जे की जांच कर रिपार्ट तैयार की गई। खेमा जी के देहावसान एवं उनके जीवनकाल के दौरान उक्त वादग्रस्त भूमि पर मैं प्रार्थी ही कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा था। विपक्षी संख्या 1 से 3 का कोई कब्जा नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 3 ने गलत तरीके से अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 4 से 6 को हस्तान्तरण कर दिया है, विपक्षी संख्या 4 से 6 उक्त वादग्रस्त भूमि को अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर मुझे अपने हिस्से से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जिस कारण मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हूं। यह कि विपक्षी संख्या 1 से 6 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में मेरे हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने एवं नया निर्माण करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 से 6 जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजीयात में नया निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा इसकी वर्तमान में स्थिति बदलने पर विपक्षी संख्या 1 से 6 आमादा है जिनका विपक्षी संख्या 1 से 6 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

6. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 6 के मन में बदनियति आ जाने से विपक्षी संख्या 1 से 6 ने मुझ प्रार्थी को मेरे गोदीपिता की विरासत से प्राप्त हिस्से की आराजीयात से महरूम रखते हुए उक्त वादग्रस्त आराजीयात को विपक्षी संख्या 4 से 6 को हस्तान्तरण कर दी है एवं जिसका विपक्षी संख्या 1 से 6 को उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई नया निर्माण कार्य करने एवं उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का विपक्षीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है विपक्षीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द व किसी भी तरह से फेर–बदल नहीं करें तथा दौराने प्रार्थना पत्र यदि विपक्षी संख्या 1 से 6 जबरन ताकत के बल पर कोई निर्माण कार्य कर लेते है तो उसे विपक्षी संख्या 1 से 6 के खर्चे से पुनः हटवाये जाने का मैं प्रार्थी अधिकारी हूं।

7. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वादग्रस्त भूमि मुझ प्रार्थी को मेरे गोदीपिता खेमा जी की विरासत से प्राप्त होने से मुझ प्रार्थी के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए मैं प्रार्थी उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने का अधिकारी हूं। विपक्षी संख्या 1 से 6 के मन में बदनियति आ जाने से विपक्षी संख्या 1 से 6 ने नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मुझ प्रार्थी को मेरे गोदीपिता की विरासत से प्राप्त हिस्से की आराजीयात से महरूम रखने के साथ–साथ उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिसका विपक्षी संख्या 1 से 6 को उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का विपक्षीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार नया निर्माण नहीं करे, न ही उक्त वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द व किसी भी तरह से हस्तान्तरित न करे, न ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह फेर–बदल नहीं करें। मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

8. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात मुझ प्रार्थी को मेरे गोदीपिता खेमा जी की विरासत से प्राप्त होने से मुझ प्रार्थी के अधिकार आधिपत्य हिस्से अनुसार कब्जे में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी मुझ प्रार्थी को कारित हो रही है, जिसका मूल्यांकन रूपयो–पैसों में आंका जाना असंभव है इसलिए मैं प्रार्थी उक्त आराजीयात को अपने नाम हिस्सेनुसार स्वतन्त्र रूप से दर्ज कराने का अधिकारी हूं। विपक्षी संख्या 1 से 6 को दिनांक 05.06.2025 को मुझ प्रार्थी को मेरे गोदी पिता खेमा जी की विरासत से प्राप्त पुश्तैनी, पैतृक आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नियत से लडाई–झगडा करने पर उतारू हुए है और वादग्रस्त भूमि में मेरा हक हिस्सा होने से साफ इन्कार हो गये है इसलिए मुझ प्रार्थी को विवश होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.06.2025 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द एवं किसी भी तरह से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य के मार्फत करावे एवं मौके एवं रिकार्ड की स्थिति बनाये रखें। मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां हम विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज होने का तथ्य स्वीकार हैं। हम विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज होने का तथ्य स्वीकार हैं। हम विपक्षी संख्या 1 से 3 हमारी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आयी है तथा हमारे द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमियों को अर्थात् विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 4 को, विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 5 को, विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी संख्या 6 को अपने–अपने हक हिस्से को पंजीकृत दान पत्रों के जरिए हस्तान्तरित कर दान ग्रहिताओं को मौके पर भौतिक आधिपत्य सिपुर्द कर दिया है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित हक हिस्से पर विपक्षी संख्या 4 से 6 अपने–अपने परिवार के सदस्यों सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। इस प्रकार उक्त हिस्सा भूमि से प्रार्थी का कभी कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं रहा हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

वादगत कृषि भूमि या खेमा पिता माना डांगी से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही हमारे स्वर्गीय भाई खेमा द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी प्रार्थी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में रखा था, न ही खेमा के साथ प्रार्थी कभी भी गोद पुत्र की हैसियत से अथवा अन्य किसी हैसियत से रहा हैं। जब खेमा ने प्रार्थी को कभी भी पुत्र के रूप में गोद ही नहीं रखा था तो गोद की रस्में होने, गुड, धनिया व मिठाई बंटवाने, ढोल बजवाने इत्यादि रस्मों रिवाजों का निर्वाह करने का कथन अपने आपमें मिथ्या एवं कपोल कल्पित मात्र है। प्रार्थी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से खेमा की कभी भी सेवा चाकरी नहीं की गई थी, न ही खेमा द्वारा दिनांक 06.01.2009 को कोई गोदनामा प्रार्थी को गोद रखने का लिखवाकर पंजीकृत कराया था। वास्तविकता तो यह है कि खेमा के कोई संतान नहीं होने से खेमा के जीवनकाल में उसकी सेवा चाकरी, भरण पोषण, भोजन–दवा की व्यवस्था हमारे द्वारा ही की गई थी और खेमा के मरणोपरान्त भी सभी क्रियाकर्म हमारे द्वारा ही सम्पन्न कराये गये और सामाजिक परम्परा अनुसार होने कार्यक्रम भी हमारे द्वारा ही कराये गये थे जिसका ज्ञान हर आम व खास को हैं। प्रार्थी ने इस कलम में यह कथन भी मिथ्या अंकित किया है कि खेमाजी के वृद्वावस्था में उनकी सेवा चाकरी भी प्रार्थी के द्वारा ही की गई थी तथा प्रार्थी की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर उसके प्राकृतिक माता पिता की सहमति से रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करते हुए प्रार्थी को गोद पुत्र का दर्जा देते हुए गोदनामा निष्पादित करवाया क्योंकि गोदनामा कभी भी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर निष्पादित नहीं किया जाता हैं, न ही गोदनामा का ऐसा कोई उद्देश्य रखता है बल्कि गोदनामा का उद्देश्य गोद लेने वाले व्यक्ति के वंश को बनाये रखने का होता है और इसी मकसद से गोदनामा निष्पादित किया जाता है। प्रार्थी एकतरफ तो बाल्यावस्था में ही गोद लेने का कथन कर रहा है जबकि दूसरी तरफ गोदनामा निष्पादन के दिन गोद पुत्र का दर्जा देते हुए गोदनामा निष्पादित करवाये जाने का कथन कर रहा है जो कथन एक–दूसरे के विरोधाभाषी हैं। इस प्रकार प्रार्थी के इन कथनों से यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा जो गोदनामा बताया जा रहा है वह प्रार्थी द्वारा षड्यन्त्र रचकर फर्जी तरीके से तैयार कराया है और इस फर्जी गोदनामा को तैयार करने का उद्देश्य खेमा की जायदाद को येनकेन प्रकारेण हथियाना ही रहा है जबकि ऐसे फर्जी गोदनामें के आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

10. यह कि दिनांक 29.06.2021 को खेमा की मृत्यु हो चुकी हैं। जब प्रार्थी को खेमा ने गोद ही नहीं रखा था तो खेमा की मृत्यु के बाद प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के सामाजिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रियाकर्म करने एवं खेमा के हक हिस्से की जमीन पर खेती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खेमा के कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी सेवा चाकरी हम तीनों बहिनों द्वारा की गई और उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी हमारे द्वारा ही की गई थी तथा खेमा के मरने के बाद हम तीनों बहिने ही खेमा की विधिक वारिसान होने से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सजरा प्रमाणित करते हुए खेमा के बजाय हमारे नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की और सभी पहलुओं एवं तथ्यों के संबंध में जांच करके हमारे पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया और खेमा के हिस्से की जमीन हमारी खातेदारी में दर्ज हुई और हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में आयी। हमारे पक्ष में जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुए है वह सही हुए है इसी वजह से प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरणों के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली में प्रस्तुत की गई। अपीले जिनके क्रमशः प्रकरण संख्या 01 सन् 2023 (अपील) एवं प्रकरण संख्या 02 सन् 2023 (अपील) हैं। न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपीलों को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करते हुए दिनांक 06.05.2025 को खारिज की गई और ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं करने की पुष्टि की गई। प्रार्थी कभी गोद पुत्र के रूप में खेमा के साथ नहीं रहा है क्योंकि खेमा ने प्रार्थी को कभी भी अपने गोद नहीं रखा था और प्रार्थी का खेमा जी जमीन पर कभी भी कब्जा उपयोग भी नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 को उसकी जायदाद हथियाने की गरज से तंग परेशान कर प्रताडित किया जाता रहा तथा दबाव बनाकर उक्त जायदाद को हडपने की मंशा से ही प्रार्थी ने आप न्यायालय में मनगढन्त कथन अंकित कर यह मिथ्या मुकदमा कर दिया जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे नाम दर्ज भूमि में किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मनगढन्त कथनों पर आधारित होने से निरस्त योग्य हैं।

11. यह कि प्रार्थी द्वारा बताया गया गोदनामा कुटरचित होकर फर्जी है क्योंकि न तो प्रार्थी को कभी गोद रखा था, न ही प्रार्थी द्वारा गोद पुत्र के दायित्वों का निर्वाह् किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् खेमा की हम विपक्षी विधिक वारिस होने से ही हमारे नाम पर विरासत से नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है और उक्त नामान्तरकरण सही स्वीकृत होने की पुष्ठि न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली द्वारा भी अपने निर्णयों में की गई हैं। प्रार्थी ने फर्जी व कुटरचित दस्तावेज की आड लेकर यह प्रार्थना पत्र एवं दावा किया है जो कि हमारे हक व अधिकारों के मुकाबले कोई प्रभाव नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

रखता है और न ही ऐसे तथाकथित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी कोई राहत पाने का हकदार हैं।

12. यह कि खेमा के बजाय हमारे नाम पर जो नामान्तरकरण की कार्यवाही हुई है वह सही हुई है और खेमा से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है इसलिए विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही की सूचना प्रार्थी को दिया जाना न तो जरूरी था, न ही कोई आवश्यकता थी। हमारे पक्ष में स्वीकृत हुए विरासत के नामान्तरकरण को न्यायालय द्वारा सही माना है और न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह भी टिप्पणी की है कि गोद जैसे विवादास्पद मामले नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते है बल्कि नियमित वाद के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किये जा सकते हैं। प्रार्थी द्वारा बताया जा रहा गोदनामा फर्जी व कुटरचित है जिसे प्रार्थी सक्षम न्यायालय से साबित नहीं करा देता तब तक राजस्व न्यायालय से किसी भी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है, न ही राजस्व न्यायालय ऐसे विवादस्पद व फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को कोई राहत देने का अधिकार रखती हैं। प्रार्थी का दूर–दूर तक खेमा के हिस्से से कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही कब्जा काश्त रहा हैं जबकि इसके विपरित वर्तमान में यह भूमि हमारी खातेदारी में दर्ज है जिसे हमने हमारे वैध अधिकारों के तहत विपक्षी संख्या 4 से 5 को पंजीकृत दान पत्र के जरिए हस्तान्तरित कर दी है जिससे वर्तमान में उक्त भूमियों पर दानग्रहिता अपने–अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। केवल मात्र नामान्तरकरण की कार्यवाही होना ही शेष हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकार नहीं रखता है और कानूनन भी हमारे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा है जिससे प्रार्थी उक्त भूमि के सहखातेदारों को उनकी भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने का अधिकार नहीं रखता हैं।

13. यह कि हम विपक्षी संख्या 1 से 3 स्वर्गीय खेमा की सगी बहिने होकर विधिक वारिस है और विधिवत् रूप से खेमा का हिस्सा विरासत से हमारे नाम पर दर्ज हुआ है जिसका पहले हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा था तथा हमारे द्वारा अपने हक हिस्से की भूमिया विपक्षी संख्या 4 से 6 को हस्तान्तरित कर दिये जाने से अब ये विपक्षीगण मालिक की हैसियत इस पर काबिज चली आ रही है जिसका ज्ञान शुरू से हर आम व खास को रहा हैं। प्रार्थी न तो वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार है, न पूर्व में कभी खातेदार रहा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

कराकर पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है, न ही कानूनन किसी खातेदार/पंजीकृत स्वामी को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जा सकता हैं। प्रार्थी का न तो प्राइमाफेसी केस हैं और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि खेमा के नाम दर्ज भूमियों में प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार एवं कब्जा भुगत नहीं रहा है और न ही खेमा का प्रार्थी गोद पुत्र रहा है। प्रार्थी ने खेमा के हिस्से की भूमि को हथियाने की नियत से षडयन्त्र रचकर गोदनामें की कुटरचना की है और यह मिथ्या मुकदमा भी प्रार्थी ने इसी मकसद से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी न तो खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार रखता है, न ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

14. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफेसी केस है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी का इस जमीन से कोई सरोकार या कब्जा भुगत भोग नहीं रहा है इसलिए प्रार्थी को न तो पूर्व में कोई क्षति हुई है, न ही होने वाली हैं। प्रार्थी न तो खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार रखता है, न ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.06.2025 को अथवा अन्य किसी दिनांक को पैदा नहीं हुआ। प्रार्थी ने जो नामान्तरकरण की अपीले प्रस्तुत की थी उनमें भी प्रार्थी ने मनगढन्त ढंग से कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना अंकित किया था। इस प्रार्थना पत्र में एवं नामान्तरकरण अपीलों में जो कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना दर्शाये है वे भिन्न–भिन्न है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व कभी कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए मिथ्या एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

15. **विपक्षी संख्या 4 से 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र** पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 3 अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आयी है तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमियों को अर्थात् विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी पुत्री विपक्षी संख्या 4 को, विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी पुत्रवधु विपक्षी संख्या 5 को, विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपनी पुत्रवधु विपक्षी संख्या 6 को अपने–अपने हक हिस्से को पंजीकृत दान पत्रों के जरिए हस्तान्तरित कर हम दान ग्रहिताओं को मौके पर भौतिक आधिपत्य सुपुर्द कर दिया है जिससे विपक्षी संख्या 1 से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

3 के नाम अंकित हक हिस्से पर हम विपक्षी संख्या 4 से 6 अपने–अपने परिवार के सदस्यों सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। हमें दान में प्राप्त हुए हक हिस्सा भूमि से प्रार्थी का कभी कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 4 की माता है, विपक्षी संख्या 2 विपक्षी संख्या 5 की सास है एवं विपक्षी संख्या 3 विपक्षी संख्या 6 की सास है जिससे विपक्षी संख्या 1 से 3 स्वर्गीय भाई खेमाजी भी हमारे रिश्तेदार है और हमें भी यह जानकारी है कि वादगत कृषि भूमि या खेमा पिता माना डांगी से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही हमारे स्वर्गीय भाई खेमा द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी प्रार्थी को अपने दत्तक पुत्र के रूप में रखा था, न ही खेमा के साथ प्रार्थी कभी भी गोद पुत्र की हैसियत से अथवा अन्य किसी हैसियत से रहा है। हम जब भी खेमाजी के यहां पर आयी गयी तब हमें कभी भी प्रार्थी गोद पुत्र की हैसियत से उनके साथ रहता नहीं मिला, न ही उनकी सेवा चाकरी करते देखा था। खेमाजी हमारे रिश्तेदार थे जिससे यदि वे प्रार्थी या किसी को भी गोद रखते तो उसकी जानकारी हमें भी जरूर देते। इससे स्पष्ट है कि खेमाजी ने कभी भी प्रार्थी या अन्य को अपने गोद नहीं रखा था। जब खेमाजी ने प्रार्थी को कभी भी पुत्र के रूप में गोद ही नहीं रखा था तो गोद की रस्में होने, गुड धनिया व मिठाई बंटवाने, ढोल बजवाने इत्यादि रस्मों रिवाजों का निर्वाह करने का कथन अपने आपमें मिथ्या एवं कपोल कल्पित मात्र हैं। खेमा के कोई संतान नहीं होने से खेमा के जीवनकाल में उनकी सेवा चाकरी, भरण पोषण, भोजन–दवा की व्यवस्था विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा ही की गई थी और खेमा के मरणोपरान्त भी सभी क्रियाकर्म विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा ही सम्पन्न कराये गये और सामाजिक परम्परा अनुसार होने वाले कार्यक्रम भी विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा ही कराये गय थे जिसका ज्ञान हर आम व खास को है और इन सभी कार्यक्रमों में हम भी शामिल हुई थी जहां पर हमने प्रार्थी को खेमा के पुत्र ही हैसियत से उनके किसी भी क्रियाकर्म या कार्यक्रम में सम्मिलित होते नहीं देखा था। प्रार्थी एकतरफ तो बाल्यावस्था में ही गोद लेने का कथन कर रहा है जबकि दूसरी तरफ गोदनामा निष्पादन के दिन गोद पुत्र का दर्जा देते हुए गोदनामा निष्पादित करवाये जाने का कथन कर रहा है जो कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं। इस प्रकार प्रार्थी के इन कथनों से यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा जो गोदनामा बताया जा रहा है वह प्रार्थी द्वारा षडयन्त्र रचकर फर्जी तरीके से तैयार कराया है और इस फर्जी गोदनामा को तैयार करने का उद्देश्य खेमा की जायदाद को येनकेन प्रकारेण हथियाना ही रहा है जबकि ऐसे फर्जी गोदनामें के आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

16. यह कि दिनांक 29.06.2021 को खेमा की मृत्यु हो चुकी हैं। जब प्रार्थी को खेमा ने गोद ही नहीं रखा था तो खेमा की मृत्यु के बाद प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के सामाजिक क्रियाकर्म करने एवं खेमा के हक हिस्से की जमीन पर खेती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खेमा के कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी सेवा चाकरी तीनो बहिनों विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा की गई और उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा ही की गई थी तथा खेमा के मरने के बाद तीनों बहिने विपक्षी संख्या 1 से 3 ही खेमा की विधिक वारिसान होने से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सजरा प्रमाणित करते हुए खेमा के बजाय इनके नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की और सभी पहलुओं एवं तथ्यों के सम्बन्ध में जांच करके विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया और खेमा के हिस्से की जमीन हमारी खातेदारी में दर्ज हुई जिस पर पहले विपक्षी संख्या 1 से 3 काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही थी तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा हम विपक्षी संख्या 4 से 6 को उनके हक हिस्से की भूमियां दिनांक 03.01.2023 को रजिस्टर्ड दान पत्र के जरिये दान कर देने के बाद से ही उक्त भूमियां हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निर्बाध रूप से चली आ रही। विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुए है वह सही हुए है इसी वजह से प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरणों के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली में प्रस्तुत की गई अपीले जिनके क्रमशः प्रकरण संख्या 01 सन् 2023 (अपील) एवं प्रकरण संख्या 02 सन् 2023 (अपील) हैं। न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपीलों को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करते हुए दिनांक 06.05.2025 को खारिज की गई और ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं करने की पुष्ठि की गई। इन तीनों अपीलों में हम विपक्षीगण भी न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त कर पक्षकार बनी थी जिससे हमें इन तथ्यों की सुस्पष्ट जानकारी है। प्रार्थी ने दबाव बनाकर उक्त जायदाद को हडपने की मंशा से ही आप न्यायालय में मनगढन्त कथन अंकित कर यह मिथ्या मुकदमा कर दिया और ऐसी झूठी मुकदमेंबाजी करके हमें तंग प्रताडित किया जा रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मनगढन्त कथनो पर आधारित होने से निरस्त योग्य हैं।

17. यह कि प्रार्थी द्वारा बताया गया गोदनामा कुटरचित होकर फर्जी है क्योंकि न तो प्रार्थी को कभी गोद रखा था, न ही प्रार्थी द्वारा गोद पुत्र के दायित्वों का निर्वाह् किया। हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खेमा के विपक्षी संख्या 1 से 3 विधिक वारिस होने से ही उनके नाम पर विरासत से नामान्तरकरण स्वीकृत हुए है और उक्त नामान्तरकरण सही स्वीकृत होने की पुष्ठि न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय मावली द्वारा भी अपने निर्णयों में की गई हैं। प्रार्थी फर्जी व कुटरचित दस्तावेज की आड लेकर यह दावा लाया है जो कि हमारे हक एवं अधिकारों के मुकाबले कोई प्रभाव नहीं रखता है और न ही ऐसे तथाकथित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी कोई राहत पाने का हकदार हैं। खेमाजी के बजाय विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर जो नामान्तरकरण की कार्यवाही हुई है वह सही हुई हैं। खेमाजी से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है इसलिए विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही की सूचना प्रार्थी को दिया जाना न तो जरूरी था, न ही कोई आवश्यकता थी। विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत हुए विरासत के नामान्तरकरण को न्यायालय द्वारा सही माना है और न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह भी टिप्पणी की है कि गोद जैसे विवादास्पद मामले नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते है बल्कि नियमित वाद के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किये जा सकते है। प्रार्थी द्वारा बताया जा रहा गोदनामा फर्जी व कुटरचित है जिसे प्रार्थी सक्षम न्यायालय से साबित नहीं करा देता तब तक राजस्व न्यायालय से किसी भी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है, न ही राजस्व न्यायालय ऐसे विवादास्पद व फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को कोई राहत देने का अधिकार रखती है। प्रार्थी का दूर–दूर तक खेमाजी के हिस्से से कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही कब्जा काश्त रहा है जबकि इसके विपरित वर्तमान में यह भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज है जिसे इनके द्वारा अपने वैध अधिकारों के तहत हम विपक्षी संख्या 4 से 6 को पंजीकृत दान पत्र के जरिए हस्तान्तरित कर दी है जिससे वर्तमान में उक्त भूमियों पर हम दानग्रहिता अपने–अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है केवल मात्र नामान्तरकरण की कार्यवाही होना शेष है। हम विपक्षी संख्या 4 से 6 उक्त भूमि के पंजीकृत स्वामी है और जमीन हमारे कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है ऐसी अवस्था में प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकार नहीं रखता है और कानूनन भी हमारे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

18. यह कि प्रार्थी ने सभी कथन कपोल कल्पित एवं मनगढन्त अंकित किये हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा है जिससे प्रार्थी उक्त भूमि के सहखातेदारों को उनकी भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने का अधिकार नहीं रखता हैं। विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

से 3 स्वर्गीय खेमा जी की सगी बहिने होकर विधिक वारिस है और विधिवत रूप से खेमा जी का हिस्सा विरासत से इनके नाम पर दर्ज हुआ है जिसका पहले विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा उपयोग किया जा रहा था तथा इनके द्वारा अपने हक हिस्से की भूमियां हम विपक्षी संख्या 4 से 6 को हस्तान्तरित कर दिये जाने से अब हम विपक्षीगण मालिक की हैसियत से इस पर काबिज चली आ रही है जिसका ज्ञान शुरू से हर आम व खास को रहा हैं। प्रार्थी न तो वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार है, न पूर्व में कभी खातेदार रहा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हम विपक्षीगण के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराकर पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है, न ही कानूनन किसी खातेदार/पंजीकृत स्वामी को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जा सकता हैं।

19. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफेसी केस है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि खेमा जी के नाम दर्ज भूमियों में प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार एवं कब्जा भुगत नहीं रहा है और न ही खेमाजी का प्रार्थी गोद पुत्र रहा है। प्रार्थी ने खेमाजी के हिस्से की भूमि जो हमें विपक्षी संख्या 1 से 3 तक से जरिए पंजीकृत दान पत्र से प्राप्त हुई है, को हथियाने की नियत से षड्यन्त्र रचकर गोदनामें की कुटरचना की है और यह मिथ्या मुकदमा भी प्रार्थी ने इसी मकसद से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी न तो खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार रखता है, न ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का न तो प्राइमाफेसी केस है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी का इस जमीन से कोई सरोकार या कब्जा भुगत भोग नहीं रहा है इसलिए प्रार्थी को न तो पूर्व में कोई क्षति हुई है, न ही होने वाली है। प्रार्थी न तो खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार रखता है, न ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

20. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.06.2025 को अथवा अन्य किसी दिनांक को पैदा नहीं हुआ। प्रार्थी ने जो नामान्तरकरण की अपीले प्रस्तुत की थी उनमें भी प्रार्थी ने मनगढन्त ढंग से कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना अंकित किया था। इस प्रार्थना पत्र में एवं नामान्तरकरण अपीलों में जो कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना दर्शाये है वे भिन्न–भिन्न है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व कभी कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए मिथ्या एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

21. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 4 से 6 को जरिये दान पत्र हस्तान्तरित करना जाहिर होता हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के गोदीना पिता खेमा के नाम दर्ज थी जो गोदपुत्र की हैसियत से प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम विरासत के आधार पर सही दर्ज हुई है प्रार्थी को मृतक खातेदार खेमा ने कभी गोद नहीं रखा था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि संलग्न राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में खेमा पिता माना के नाम दर्ज थी। खेमा पिता माना के कोई सन्तान नहीं होने से खेमा पिता माना द्वारा भूरा पिता दौला डांगी से उसके पुत्र खुमा को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.01.2009 से गोद लिया। खेमा पिता माना की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर नामान्तरकरण पारित कर वादग्रस्त भूमि खेमा पिता माना के बजाय विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार की बहने होकर द्वितीयक श्रेणी की वारिस हैं। संलग्न राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर न्यायालय का मानना है कि मृतक खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रार्थी को गोद रखा गया था इस कारण से मृतक खातेदार का प्रथम श्रेणी का वारिस प्रार्थी हो चुका था। हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस के जीवनकाल में विरासत का नामान्तरकरण द्वितीयक श्रेणी के वारिसों के नाम पर पारित नहीं किया जा सकता हैं परन्तु इस प्रकरण में विरासत का नामान्तकरण प्रथम श्रेणी के वारिसान के जीवनकाल में ही द्वितीयक श्रेणी के वारिसान के नाम पारित किया गया हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वितीयक श्रेणी के वारिस होते हुए भी अपने नाम विरासत का नामान्तकरण पारित करवाया तथा जमाबन्दी पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 3365 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 4 से 6 के पक्ष में किये गये दान के आधार पर नामान्तरकरण पारित करवा खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। यदि वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन विक्रय किया जाता है तो इससे प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गोदीना पुत्र की हैसियत से पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 4 से 6 को जरिये दान पत्र हस्तान्तरित कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी की पैतृक भूमि होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण उक्त दान पत्र का नामान्तरकरण पारित करवा लेते है तथा विपक्षी संख्या 4 से 6 भूमि को अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित, विक्रय या खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा व प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु विपक्षीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 4 से 6 को जरिये दान पत्र हस्तान्तरित कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा गोदीना पुत्र की हैसियत से वादग्रस्त भूमि में हिस्से की घोषणा चाही गई है इसलिए यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

23. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की आराजी नम्बर 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 5870/4523 किता 7 कुल रकबा 0.6880 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 कुल रकबा 1.4652 हेक्टेयर एवं मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की आराजी नम्बर 2385, 2386, 2394, 2398, 2399 किता 5 कुल रकबा 0.4451 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2738, 2740, 2741, 2742 किता 4 कुल रकबा 0.5180 हेक्टेयर एवं मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की आराजी नम्बर 4472, 4473, 4501, 4502, 4503, 4504, 4508, 4509 किता 8 कुल रकबा 0.2106 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के गोदी पिता खेमा पिता माना के नाम पर दर्ज थी। खेमा पिता माना के कोई सन्तान नहीं होने से खेमा पिता माना द्वारा भूरा पिता दौला डांगी से उसके पुत्र खुमा को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.01.2009 से गोद लिया। खेमा पिता माना की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर नामान्तरकरण पारित कर वादग्रस्त भूमि खेमा पिता माना के बजाय विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार की बहने होकर द्वितीयक श्रेणी की वारिस हैं। मृतक खातेदार खेमा द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रार्थी को गोद रखा गया था इस कारण से मृतक खातेदार का प्रथम श्रेणी का वारिस प्रार्थी हो चुका था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस के जीवनकाल में विरासत का नामान्तरकरण द्वितीयक श्रेणी के वारिसों के नाम पर पारित नहीं किया जा सकता हैं परन्तु इस प्रकरण में विरासत का नामान्तकरण प्रथम श्रेणी के वारिसान के जीवनकाल में ही द्वितीयक श्रेणी के वारिसान के नाम पारित किया गया हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वितीयक श्रेणी के वारिस होते हुए भी अपने नाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

विरासत का नामान्तकरण पारित करवा लिया। प्रार्थी स्वयं को खेमा का गोदीना पुत्र होना बता रहा है उसी के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 4 से 6 को जरिये दान पत्र हस्तान्तरित कर दी गई जिसका नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ हैं। विपक्षीगण का कथन है कि खेमा ने प्रार्थी को गोद नहीं रखा है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा फर्जी एवं कुटरचित हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी के गोद जाने के आधार पर घोषणा सम्बन्धी हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.01.2009 प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी को खेमा द्वारा गोद रखा गया हैं। चूंकि उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड होने से इस पर संशय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। यदि विपक्षीगण के कथनानुसार उक्त गोदनामा फर्जी एवं कुटरचित है तो विपक्षीगण को चाहिए था कि सक्षम न्यायालय से उक्त गोदनामे को केन्सिल अथवा शून्य घोषित करवाने की कार्यवाही करते परन्तु विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त गोदनामें को शून्य अथवा निष्प्रभावी घोषित किया गया हो।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में गोदीना पुत्र की हैसियत से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। यदि गोद जाने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा परन्तु गोद के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा विपक्षी संख्या 4 से 6 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किये जाने से यदि उक्त दान पत्र का नामान्तरकरण पारित हो जाता है तो इससे प्रकरण में दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी।

भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 10.06.2025 से विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की आराजी नम्बर 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 5870/4523 किता 7 कुल रकबा 0.6880 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 कुल रकबा 1.4652 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 4472, 4473, 4501, 4502, 4503, 4504, 4508, 4509 किता 8 कुल रकबा 0.2106 हेक्टेयर एवं मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की आराजी नम्बर 2385, 2386, 2394, 2398, 2399 किता 5 कुल रकबा 0.4451 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2738, 2740, 2741, 2742 किता 4 कुल रकबा 0.5180 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। शेष अन्य सहखातेदार पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested